

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 01/2012, 28वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2012 के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) के कुल 118 (एक सौ अठारह) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरुष एवं महिला) से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन 118 (एक सौ अठारह) पदों में से अनारक्षित को 59 (उनसठ), अनुसूचित जाति को 19 (उन्नीस), अनुसूचित जनजाति को 02 (दो), अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21 (इक्कीस), पिछड़ा वर्ग को 14 (चौदह) एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 03 (तीन) पद अनुमान्य है।

- (i) शैक्षिक योग्यता :- बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त क्विविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।
शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार का यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित शिक्षण सत्र में सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ii) उम्र सीमा:- उम्मीदवार की उम्र दिनांक 01.08.2011 को 35 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की उम्र उक्त तिथि को 40 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- (iii) चयन की प्रक्रिया :- नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
(अ) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं:-
परीक्षा के अनिवार्य विषय

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी पत्र में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा के ऐच्छिक विषय

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने की स्वतंत्रता होगी :-

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत और इंग्लैंड की संवैधानिक विधि (Constitutional Law of India & England)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Mohammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principle of Equity), न्याय विधि-विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

- (ब) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-8390, दिनांक 26.08.2010 के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उससे वसूलनीय होंगी।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-4923, दिनांक 08.05.2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे -

प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो 100 अंकों का होगा एवं द्वितीय प्रश्न पत्र विधि का होगा, जो 150 अंकों का होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. (OMR) उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जांच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् विधि के प्रश्न पत्रों के लिये विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् विधि के विषय निम्नांकित हैं:-

1. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित)
2. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान
3. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (ला ऑफ एविडेन्स एण्ड प्रोसिड्योर)
4. भारत और इंग्लैंड की संवैधानिक विधि (कन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एण्ड इंग्लैंड)
5. हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (हिन्दू लॉ एण्ड मुस्लिम लॉ)
6. संपत्ति अंतरण विधि (लॉ ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी) और साम्य सिद्धान्त (प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी) न्याय विधि - विशिष्ट और अनुतोष (लॉ ऑफ ट्रस्ट एण्ड स्पेसिफिक रिलीफ) सहित
7. संविदा और अपकृत्य विधि (लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एण्ड टॉर्ट्स)
8. वाणिज्य विधि (कॉमर्शियल लॉ)

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या का दस प्रतिशत, 100 के निकटतम गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन, लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा और अन्तिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।

परन्तु सामान्य कोर्ट के अभ्यर्थियों के सिवाय आरक्षित कोर्ट के अभ्यर्थियों की संख्या, सुसंगत अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सेवाओं में उनके लिए नियत प्रतिशत के मुकाबले प्रारम्भिक जाँच में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कम हो तो उन कोर्टियों से उतने अभ्यर्थियों को, कम होने की सीमा तक, अतिरिक्त रूप से, मेधा के आधार पर लिखित परीक्षा लेने हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टि:

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूँकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे
 1. आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय -

स्	नि	ग्	धा		
----	----	----	----	--	--
 2. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
 3. आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
 4. आवेदन की कंडिका 2(iv) यदि हों, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनु. जाति के लिये 02, अनु. जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।
 5. आवेदन की कंडिका 4(i) भाषेत्तर विषय का उत्तर किस भाषा में देना चाहते हैं, में हिन्दी के लिये 1 भरें एवं अंग्रेजी के लिये 2 भरें।उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।
- (v) क्रमांक 9 "शैक्षिक योग्यता" के अधीन 'प्राक्तांक' एवं प्रतिष्ठा के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) स्तम्भ (कॉलम) 14 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक् कर सके।
- (vii) स्तम्भ (कॉलम) 15 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. फोटोग्राफ:

आवेदन-पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव से बना होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृत का कारण हो सकता है।

3. लिफाफा:

- (i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।
- (ii) 16×10 से.मी. का स्वपता लिखित तीन लिफाफा (अनुक्रमांक एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिसपर 25-25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

4. आरक्षण:

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की द्वा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

5. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/- (पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 125/- (एक सौ पचीस) रुपये तथा अन्य के लिए 300/- (तीन सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 350/- (तीन सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक प्रति (BPS-C's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।

6. अन्य:

- (i) आवेदन के साथ सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के निमित्त मैट्रिक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न करें।
- (ii) आवेदन के साथ उम्मीदवार को आचरण प्रमाण पत्र उस संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय का संलग्न करना होगा जहाँ उम्मीदवार अंतिम रूप से अध्ययनरत रहे हों।
- (iii) वैवाहिक स्थिति के संबंध में एक से अधिक जीवित पत्नी होने की दशा में इसके औचित्य के कारणों का उल्लेख अवश्य करें।
- (iv) उम्मीदवार का स्वास्थ्य, शरीर-रचना, आदत एवं चरित्र न्यायिक सेवा के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- (v) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (vi) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

7. अंतिम तिथि:

- (i) भरा हुआ आवेदन केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि बुधवार, दिनांक 14.03.2012 को 5.00 बजे अपराह्न तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।